फर्द अहकाम

इश्वरलाल बनाम गजानंद वगै०

म न्यायालय **सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला—जयपुर) राज.**

स संख्या 83/2019 दावा - 88,188 RTA

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/5/26	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रा०पत्र O7R11 CPC स्वीकार किया जाता है एवं प्रा०पत्र O7R11 CPC स्वीकार होने उक्त वाद-पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला—जयपुर) राज.	

(कोर्ट ट्रक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदड़, आर. ए. एस.

वाद पत्र संख्या :— 50 / 2009 पुराना, नया 83 / 2019

उनवान

ईश्वरलाल वगै0 बनाम गजानन्द वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री नरेश कुमार आत्रेय, वकील प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री खेमचन्द यादव, वकील अप्रार्थी / वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :— 13/5/2026

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण / प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश— 7 नियम —11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण के द्वारा उपरोक्त शीर्षकीय वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा यह कथन करते हुए पेश किया है कि भूमि खसरा नम्बरान 0.04 है. 1312 रकबा 0.10 है. 0.11 है., 1323 रकबा 0.12 है, 1294 रकबा 0.15 है. 1305 रकबा 0.08 है. 1306 रकबा 1320 रकबा 0.13 है. 1321 रकबा 0.13 है. 1322 रकबा 1324 रकबा 0. 15 है., 1325 रकबा 0.10 है., 1326 रकबा 0.12 है. किता 11 कुल रकबा 1. 23 है. वाके ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर है इसके साबिक खसरा नम्बरान 851, 855, 858, 859 है। उक्त भूमि को वादीगण के पूर्वज चन्दा पुत्र सेडू एवं चूना पुत्र जगदेव रेगर निवासी मनोहरपुर बहैसियत खातेदार कृषक सन् 1946 से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे थे। साबिक भू—प्रबन्ध के समय एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के दिन दिनांक 15—10—1955 को इस भूमि को उक्त चन्दा व चुना काबिज काश्त कृषक होकर काश्त कर रहे थे। उक्त भूमि राजशाही व्यवस्था के समय महादेव ब्राहमण मनोहरपुर की माफी में थी तथा उसकी मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में उसकी पत्नि ग्यारसी देवी एवं दत्तक पुत्र गजानन्द का नाम खातेदार काश्तकार के कालम में भू—प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों की गलती से दर्ज कर दी गई। साथ ही कथन किया

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला—जयपुर) राज.

कि प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दुरुस्त करने के लिए दबाव डालने पर वह साफ तौर पर इन्कार हो गया तथा उसने प्रस्ताव रखा कि वादीगण द्वारा उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी उसके नाम होने के कारण 5 लाख रूपये वादीगण द्वारा देने पर ही प्रतिवादी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्दाज करावेगा। वादीगण ने प्रतिवादी की मानसिकता को देखकर किसी भी विवाद में उलझने के बजाय शान्तिपूर्वक तरीके से नाम परिवर्तन की रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रतिवादी को उसके प्रस्ताव के अनुसार 5 लाख की राशी देकर जरिये रजिस्ट्री राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाना उचित मानकर दिनांक 30–12–06 को 5 लाख रूपये प्रतिवादी को भुगतान कर दिये प्रतिवादी ने इसी दिन वादीगण के पक्ष में रसीद इकरारनामा नाम परिवर्तन के लिए लिख कर अपने हस्ताक्षर व गवाहों की अंगूठा निशानी करा कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर वादीगण को दे दिया। जिसका वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शाहपुरा में विचाराधीन है। वादीगण ने उक्त वाद में यह भी कथन किया है कि वादीगण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार अर्सा 60 वर्षों से भी अधिक समय से निर्बाध रूप में काबिज काश्त चलते आ रहे है। भूमि मुतदाविया का प्रतिवादी के पूर्वज माफीदार थे प्रतिवादी की दत्तक माता श्रीमती ग्यारसी एवं दतक पुत्र प्रतिवादी माफीदार रहे है। जो कि राजस्व रिकार्ड पर्चा खातेदारी में पूर्व माफीदार का नाम गलती से दर्ज रहने के कारण अब तक राजस्व रिकार्ड में उसी का नाम चला आ रहा है जो कि काबिले दुरूस्ति है। वादीगण का 60 वर्षों से अधिक समय से प्रतिवादी व प्रतिवादी के पूर्वजो की जानकारी में निर्वाद रूप में बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त शांतिपूर्वक रूप में चलता आ रहा है, जिससे विकल्प रूपेण भी (in the alternative) कब्जा मुफालपाना से (adverse possession) प्रतिकूल कब्जा से वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अन्त में वादीगण ने अपने वाद में अनुतोष चाहा है कि वादग्रस्त भूमि का इन्द्राजात दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। वादीगण के स्वयं के स्वीकृत कथनो के अनुसार उक्त भूमि के सम्बंध में अपने अधिकारो की घोषणा के लिए प्रस्तुत वाद की दायरी से पूर्व ही एक अन्य वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन था। वादीगण के स्वीकृत कथनानुसार उक्त अन्य वाद वादीगण ने वादग्रस्त आराजी जरीये विक्रय अनुबंध क्रय किये जाने से उसके सम्बंध में विक्रय अनुबंध की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु पेश किये जाने का

सहायक कलक्टर

कथन किया है। आदेश 2 सिविल प्रक्रिया संहिता स्पष्ट करती है कि वादी जो दावा पेश करेगा वह संपूर्ण वाद होगा। हर वाद के अन्तर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वाद–हेतुक के विषय में करने का वादी हकदार है, किन्तु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा। जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है वहां उसके पश्चात् वह इस प्रकार लोप किए गए या व्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा। यदि कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोप एक ही वाद–हेतुक के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोष या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किन्तु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है तो उसके पश्चात् वह इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए वाद नहीं लाएगा। इस प्रकार वादीगण के स्वीकृत कथनानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद उनवानी कोयली व अन्य बनाम गजानन्द व अन्य वाद संख्या 11/2007 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र शाहपुरा जिला, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व लोप किये गये अनुतोषों के लिए वाद लाने की कोई अनुमति ली गई हो ऐसा कोई कथन उक्त वाद में अंकित नहीं किया गया है। जिससे अब वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने से विधि द्वारा बाधित है जिनका उसके द्वारा लोप न्यायालय की इजाजत के बिना किया गया है। इसलिए वादीगण का वाद विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। इतना ही नहीं वादीगण अपने पुर्व के किये गये कथनो से भी विधि द्वारा एस्टौप्ड होने से पूर्व वाद के विपरित कथन किये जाने से भी उक्त काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद की विषयवस्तु, पक्षकार और अनुतोष एक समान होने से तथा सक्षम न्यायालय के द्वारा वादीगण के वाद को खारिज कर दिये जाने तथा उक्त वाद में टी.आई. की अपील भी अपीलीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिये जाने से उक्त वाद धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के सहत प्रत्यक्षतः और सारतः समान पक्षकारों के बीच उसी विवाद्य विषय के सम्बंध में होने से भी विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। जहाँ तक एडवर्स पजेशन का प्रश्न है तो (एडवर्स पजेशन का मूल सिद्धांत यह है कि कब्जा वास्तविक मालिक के स्वत्व के विरुद्ध (against the title of the true owner) होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह शुरू से ही मालिक है, तो इसका मतलब है कि वह वास्तविक मालिक के अस्तित्व या अधिकार को ही नकार रहा है।

उसके कब्जे में adversity का तत्व ही नहीं है। (एडवर्स पजेशन वाला व्यक्ति कहता है मैं इस जमीन का मालिक नहीं था लेकिन मैंने इतने सालों तक ऐसे कब्जे में रखा जो आपके (वास्तविक मालिक के) अधिकार के खिलाफ था इसलिए अब कानून मुझे मालिक बना देता है। लेकिन वादीगण तो बाद में क्लेम कर रहे है कि हम प्रारम्भ से इस जमीन के मालिक रहे है। यह जमीन शुरू से ही हमारी है। यदि व्यक्ति स्वयं को प्रारंभिक स्वामी मानता है, तो वह वास्तव में (एडवर्स पजेशन का दावा ही नहीं कर रहा है, बल्कि वह मूल स्वामित्व (Original Ownership) का दावा कर रहा है। उसका कब्जा (एडवर्स नहीं, बल्कि एक वास्तविक मालिक के कब्जे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय न्यायालयों ने लगातार यह स्थिति स्पष्ट की है कि (एडवर्स पजेशन का दावा करने वाला वास्तविक मालिक के टाइटल को ही नकार देता है, तो वह (एडवर्स पजेशन के लाभ के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसे में उक्त वादीगण के द्वारा स्वयं को प्रारम्भ से भूमि का खातेदार स्वामी होना मानकर प्रस्तुत उक्त वाद (एडवर्स पजेशन की मूलभूत शर्तों को पूरा करने वाला नहीं होने से विधिक रूप से पोषणीयता के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। यह कि जहाँ तक वादी का कथन कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का प्रश्न है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रतिकूल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम में ऐसी खातेदारी प्रदान करने का कोई विधिक आधार नहीं है। जिसके सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के द्वारा भी फूल बैच ने अपने निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रतिकल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए कोई प्रावधान नहीं होने की पुष्टी की है। ऐसे में उक्त वाद बिना विधिक प्रावधानो के वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से भी उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है। यह कि वादीगण के द्वारा उक्त वेग तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। बिना किसी हक व अधिकार के एवं बिना किसी लॉकस स्टेण्डाई के वाद पेश किया है जो काबिले खारिज है। उक्त वाद में विवादित भूमि के संबंध में वादीगण ने बाद पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व में एक दीवानी वाद बाबत् संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश शाहपुरा, जिला जयपुर के समक्ष उनवानी प्रकरण कोयली वगैरह बनाम गजानन्द वगैरह, मुकदमा नम्बर–11/2007, दिनांक 13.07.2007 को फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामे को आधार बनाकर

प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय गजानन्द के विरुद्ध प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी कृषि भूमि को बदनियती पूर्ण आशय से हड़प करने की गरज से प्रस्तुत किया था जो न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय शाहपुरा द्वारा दिनांक 23.07.2018 को खारिज फरमा दिया गया है। इस वाद पत्र के साथ जो टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 11/2007 पेश की थी वो भी उक्त ए.डी.जे. कोर्ट शाहपुरा द्वारा दिनांक 09.08.2011 को खारिज फरमा दी गई थी। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में दीवानी विविध अपील सं. 5909/2011 वादीगण ने प्रस्तुत की थी वो भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दी गई थी। इस प्रकार उक्त वाद पत्र में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय गजानन्द शर्मा जो कि सेवानिवृत सरकारी अध्यापक थे, के कूटरचित व फर्जी हस्ताक्षर करके तथाकथित इकरारनामा बाबत् 5,00,000/– रूपये के संदर्भ में भूमि बेचान का कूटरचित रूप से बना लिया था जिसके संदर्भ मे प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय गजानन्द शर्मा ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा के समक्ष जरिये परिवाद मुकामी पुलिस थाना मनोहरपुर में उक्त फर्जी कूटरचित इकरारनामे के संदर्भ में प्रथम रिपोर्ट संख्या–77/2007 दर्ज करवायी गयी थी जिसमें दौराने अनुसंधान उक्त फर्जी व कूटरचित इकरारनामा दिनांकित 30.12.2006 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजा गया था जिसकी एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर वादीगण के कुछ व्यक्तियों को जेल जाना पड़ा था। उक्त वाद में वादीगण विरोधाभाषी कथन करते है। जिसमें एक और तो उक्त वाद पत्र में आराजी को 5,00,000/– रूपये में क्रय करना बता रहे है व दूसरी ओर प्रस्तुत राजस्व वाद पत्र में घोषणा, खातेदारी की रिलीफ चाह रहे है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद वास्तविक तथ्यो को छुपाकर वास्तविक तथ्यो के विपरीत कथन करते हुए पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र मात्र माननीय न्यायालय को गुमराह कर, बेजा फायदा उठाने एवं प्रतिवादीगण को सदोष हानि पहुंचाने के कुत्सित उद्देश्य एवं बदनियति से प्रस्तुत किया गया है, जो कि अन्यथा भी, स्पष्ट रूप से उक्त वाद मात्र क्लेवर ड्राफ्टिंग मात्र है। इस कारण वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र फ्रिवीलस एवं वैक्शिसियस सूट की तारीफ में आने के कारण भी प्रथमदृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है। यह कि उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वज महादेव के नाम बरवक्त लागू होने साबिका सेटलमेंट 1955 से पूर्व कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज रही है. उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता गजानन्द पुत्र श्री महादेव व दादी श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी स्व. महादेव के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई व अब उक्त

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

आराजीयात का विरासत नामांतरण प्रतिवादीगण संख्या-1/1 लगायत 1/6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण अपने बाप-दादाओं के जीवनकाल से बतौर खातेदार, काश्तकार काबिज है। वादीगण का उक्त आराजी के किसी भी भू-भाग से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसके बावजूद वादीगण के द्वारा बिना कब्जे की प्रार्थना के उक्त वाद पेश किया है जो विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त दावा बिना Substantial Cause Of Action Grossly Delay And Clearly Vexatious And Frivolous होने के कारण आदेश-7 नियम-11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद-पत्र वादी अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्य0प्र0सं0 के तहत निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी/वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :- प्रतिवादीगण में से गजानन्द अध्यापक पद पर राजकीय सेवा में था। उसने अनपढ कृषकों से दगा कर राशि 5 लाख रूपये इस कथन के साथ ली की दावा घोषणा व दुरूस्ति इन्द्राज के बजाय वह प्रतिवादी गजानन्द सरलता से विक्रय-पत्र के जरिये बयान करके टाईटल वैध खातेदारान वादीगण प्रतिवादी गजानन्द के मन में बेईमानी आ गई तथा उसके सब से इन्कार कर दिया व वादीगण के खिलाफ एफ.आई.आर. तक दर्ज करवा दी जिसमें न्यायालय ने निर्णय कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही यहां यह भी अतिमहत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी गजानन्द ने अपने हस्ताक्षरों से इन्कार किया जो कि वादीगण की मौजूदगी में पब्लिक नोटेरी के समक्ष किये गये तथा गजानन्द की सर्विस बुक से हूबहू मेल खाते हस्ताक्षरों का बेइमानी से मिलीभगत से रिपोर्ट करवा कर वादीगण के विरूद्ध अन्यायपूर्ण फौजदारी प्रकरण दर्ज कराया जिसकी जांच में सभी तथ्य व कथन सावित हो गये है। प्रतिवादीगण द्वारा सिविल न्यायालय में विशिष्ट पालना के दावा से दावा हाजा के अनुतोष का एक दूसरे से भिन्न होने के कारण प्रभावित होने का कथन प्रार्थना-पत्र में बदनीयतीपूर्ण है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विशेष अधिनियम है जिसकी हक अधिकारी खातेदारी घोषणा का दावा किसी भी अन्य दावा से प्रभावित या लोप नहीं होता है, न ही लोप हो सकता है। न्यायालय से अनुतोष के बाबत छूट लेने का प्रावधान की स्थिति एक ही अनुतोष मांगने की स्थिति में/के लिए है जबकि प्रकरण हाजा में दोनों अनुतोष भिन्न-भिन्न है तथा भिन्न-भिन्न

सहायक कलक्टर
जिला-जयपुर राज.

सहायक कलक्टर

अधिनियमों के तहत चाहे गये है जो प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र हाजा में उठाये गये ऐतराज से प्रभावित नहीं होते है। वादीगण ने दोनों भिन्न भिन्न अनुतोषों में से किसी भी अनुतोष का लोप नहीं किया है अपितु दोनों दावों में दोनो ही दावों के अभिवचनों का भिन्न-भिन्न वाद करण व अनुतोषों का अंकन किया है जो कि प्रतिवादी ने दावा हाजा की वाद दायरी के अर्सा करीब 16 वर्षों बाद किसी योजना के तहत प्रार्थना-पत्र हाजा बिना विधि की रोक के विपरित पेश किया है जो प्रतिवादीगण ने भूमि वादग्रस्त को किसी दीगर भू-माफिया को बेचकर उसी की किसी गंभीर योजना के तहत यह विधि विपरित प्रार्थना-पत्र दावा हाजा के 16 वर्षो बाद बदनीयत पूर्ण इरादे से पेश की है। दावा हाजा का अनुतोष किसी भी भांति काउण्टर क्लेम नहीं है अपितु मुख्य अनुतोष आर.टी. एक्ट की धाराओं की व्यवस्था के तहत चाहा गया अनुतोष है जो किसी भी व्यवस्था के तहत प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है। साथ ही सी0पी0सी0 की आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रभावित नहीं होता है। फलतः दावा हाजा खारिज की श्रेणी में नहीं आता है। जिमन नंबर 4 गलत है, अस्वीकार है। दोनों दावों मे पक्षकार व भूमि एक ही है परन्तु दोनों दावों की प्रकृति, अनुतोष भिन्न-भिन्न होने के कारण दोनों दावे एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते है। फलतः वैध है विधि अनुरूप है। वादीगण मकानात पुख्ता बनाकर भूमि वादग्रस्त में हमेशा से काबिज काश्त है तथा माफीदार को लगान रूप में देते थे अब माफी खत्म होने से लगान राज0 सरकार को दे रहे है तथा माफीदार के अधिकार खत्म होकर राज0 सरकार में निहीत हो गये है जिससे प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं रहे है तथा वादीगण को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये है फलत अधिकारों की घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। भारतीय संविधान निर्मित विध तथा केश ला के सिद्धान्तों के तहत वादीगण एडवर्स पजेशन के अधिकारों के अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा वर्णित शब्द फ्रीवीलस एवं वेक्सिसियस सूट की श्रेणी में वादीगण का दावा नहीं आता है फलतः प्रार्थना-पत्र मात्र भूमाफिया की तरह की श्रेणी में आता है जो बदनीयत पूर्ण इरादे से पेश प्रार्थना-पत्र हाजा खारिजी योग्य है। प्रतिवादी मृतक मात्र माफीदार था तथा वादीगण एवं वादीगण से पूर्व वादीगण के पूर्वज कृषक माफीदारी के समय थे। माफीदारी खत्म होते ही प्रतिवादी के हक अधिकार माफीदारी खत्म हो गये तथा कृषक यथावत रूप से धारा 9 जागीर रिज्यूम्पसंस अधि0 1952 के तहत सम्पूर्ण खातेदारी अधिकारों के साथ स्वतंत्र रूप में यथावत खातेदार कृषक रहे तथा लगान माफीदार के जाय 18.2.1952 से राज0 सरकार को भुगतान करने लगे। दावा के कॉज ऑफ एक्शन एवं फैक्ट विधि अनुरूप होकर निर्णय डिक्री करने योग्य है। अतः

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए बहस की एवं दावा खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त C.J. (Civil) 2022 (2) Page No. 888, DNJ 2009(3) (Raj) Page No. 1258, Civil Times 2020 (1) CT (SC) Page No. 2313, CJ (Civil) 2022 (4) Page No. 2313, CJ (Civil) 2020 (2) SC Page No. 394, DNJ (4) Raj Page No. 1327, DNJ (3) 2023 (3) Page 751, CJ (2019) (2) Civ SC Page No 401 पेश किये। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया प्रकरण भिन्न होने से प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। साथ में दस्तावेजात पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।

(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु (घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया , पत्रावली व वाद–पत्र का अवलोकन किया गया, एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के जिमन नंबर 11 में इंगित किया है कि " वादीगण का 60 वर्षों से अधिक समय से प्रतिवादी व प्रतिवादी के पूर्वजो की जानकारी में निर्बाद रूप में बिना किसी बाधा के कब्जा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

काश्त शांतिपूर्वक रूप से लगातार चला आ रहा है जिससे [illegible] alternative) कब्जा मुखालफाना से (adverse possession) प्रतिकूल कब्जा से वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। उक्त जिमन नंबर 11 से यह स्पष्ट है कि मृतक वादी व वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश किया गया है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में मुख्य बिन्दु यह उठाया कि जहां एडवर्स पजेशन का प्रश्न है तो (एडवर्स पजेशन का मूल सिद्धांत यह है कि कब्जा वास्तविक मालिक के स्वत्व के विरुद्ध (against the title of the true owner) होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह शुरू से ही मालिक है, तो इसका मतलब है कि वह वास्तविक मालिक के अस्तित्व या अधिकार को ही नकार रहा है। उसके कब्जे में adversity का तत्व ही नहीं है। (एडवर्स पजेशन वाला व्यक्ति कहता है मै इस जमीन का मालिक नही था, लेकिन मैने इतने सालों तक ऐसे कब्जे में रखा जो आपके (वास्तविक मालिक के) अधिकार के खिलाफ था, इसलिए अब कानून मुझे मालिक बना देता है। लेकिन वादीगण उक्त वाद में क्लेम कर रहे है कि हम प्रारम्भ से इस जमीन के मालिक रहे है। यह जमीन शुरू से ही हमारी है। यदि व्यक्ति स्वयं को प्रारंभिक स्वामी मानता है, तो वह वास्तव में (एडवर्स पजेशन का दावा ही नहीं कर रहा है, बल्कि वह मूल स्वामित्व (Original Ownership) का दावा कर रहा है। उसका कब्जा (एडवर्स नहीं, बल्कि एक वास्तविक मालिक के कब्जे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय न्यायालयों ने लगातार यह स्थिति स्पष्ट की है कि (एडवर्स पजेशन का दावा करने वाला वास्तविक मालिक के टाइटल को ही नकार देता है, तो वह (एडवर्स पजेशन के लाभ के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसे में उक्त वादीगण के द्वारा स्वयं को प्रारम्भ से भूमि का खातेदार स्वामी होना मानकर प्रस्तुत उक्त वाद (एडवर्स पजेशन की मूलभूत शर्तो को पूरा करने वाला नहीं होने से विधिक रूप से पोषणीयता के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। यह कि जहाँ तक वादी का कथन कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का प्रश्न है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रतिकूल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम में ऐसी खातेदारी प्रदान करने का कोई विधिक आधार नहीं है। जिसके सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के द्वारा भी फूल बैच ने अपने निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रतिकल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला—जयपुर) राज.

आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए कोई प्रावधान नहीं होने की पुष्टी की है। आदेश 2 सिविल प्रक्रिया संहिता स्पष्ट करती है कि वादी जो दावा पेश करेगा वह सम्पूर्ण वाद होगा। हर वाद के अन्तर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वाद-हेतुक के विषय में करने का वादी हकदार है किन्तु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकेगा। जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है वहां उसके पश्चात् वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा। यदि कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोप एक ही वाद--हेतुक के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोष या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किन्तु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है तो उसके पश्चात् वह इस प्रकार लोप किए गए किसी भी अनुतोष के लिए वाद नही लाएगा। इस प्रकार वादीगण के स्वीकृत कथनानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद उनवानी कोयली व अन्य बनाम गजानन्द व अन्य वाद संख्या 11/2007 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र शाहपुरा जिला, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व लोप किये गये अनुतोषों के लिए वाद लाने की कोई अनुमति ली गई हो ऐसा कोई कथन उक्त वाद में अंकित नहीं किया गया है। जिससे अब वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने से विधि द्वारा बाधित है जिनका उसके द्वारा लोप न्यायालय की इजाजत के बिना किया गया है। इसलिए वादीगण का बाद विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाना विधि विरूद्ध है। प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत C.J. (Civil) 2022 (2) Page No. 888, DNJ 2009(3) (Raj) Page No. 1258, Civil Times 2020 (1) CT (SC) Page No. 2313, CJ (Civil) 2022 (4) Page No. 2313, CJ (Civil) 2020 (2) SC Page No. 394, DNJ (4) Raj Page No. 1327, DNJ (3) 2023 (3) Page 751, CJ (2019) (2) Civ SC Page No 401 पूर्ण रूप से चस्पा होते है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण की बहस से न्यायालय सहमत है। प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होने से एवं वर्तमान में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने से अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अर्थार्थी/वादीगण का हस्तगत वाद-पत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पत्रावली डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संजीव कुमार) खेदड, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला-जयपुर, राज.

पीठासीन अधिकारी	श्री संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या	50 / 2009 पुराना नया 83 / 2014

उनवान

ईश्वरलाल वगै0 बनाम गजानन्द वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री नरेश कुमार आत्रेय, वकील प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री खेमचन्द यादव, वकील अप्रार्थी / वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :- 13/5/26

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी / वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा, खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय व डिक्री आज दिनांक 13/5/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा लगाकर जारी की गई है।

(संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

ाद के खर्च

ादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शो के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
ोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.